

/उमरिया, दिनांक / 17-11-21

क्र/माचि/ 40/2

महा प्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
पी.आई.सू. जबलपुर (म.प्र.)



व्य :- उमरिया जिले में करनपुरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.841 हे० (आनलाईन आवेदित 0.992 हे०) वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित शहडोल को उपयोग पर देने बावत। प्रकरण क्रमांक (FP/MP/WATER/39770/2019)

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र० / एफ-5 / 960 / 2020 / 10-11 / 3749 दिनांक 11.11.2021

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र आपको भी पृष्ठांकित है, अवलोकन करने का कष्ट करे। संदर्भित पत्र में दर्शित बिन्दु क्रमांक-5 के अंतिम पैरा में दिये गये निर्देशानुसार पर्यवेक्षण शुल्क की राशि जमा किया जाना है।

अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु स्वीकृति कुल राशि 3524700 रुपये का 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 352470 रुपये (तीन लाख बावन हजार चार सौ 70 रुपये मात्र) का ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा कर बैंक स्टेटमेंट, जमा रसीद UTR नम्बर सहित प्रस्तुत करे।

(मोहिचंद्र)

मा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

उमरिया, दिनांक / 17-11-21

पृ०क्रमांक / माचि / 2021 / 40 / 3

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)